न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर जिला चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी श्री पुनीत कुमार गेलडा (आर०ए०एस०)

प्रकरण संख्या : 11 / 2023
दायर दिनांक : 13 / 04 / 2023
निर्णय दिनांक : 15 / 02 / 2024

उनवान

1. गमेरीदेवी पत्नी माधू जाट निवासी पटोलिया तहसील भूपालसागर

प्रार्थीगण

बनाम

1. किशनलाल पिता उदयराम जाट निवासी पटोलिया तहसील भूपालसागर
2. माधु पिता बंशीलाल जाट निवासी पटोलिया तहसील भूपालसागर
3. बंशी पिता नावजी जाट निवासी पटोलिया तहसील भूपालसागर
4. माधु पिता जीतमल जाट निवासी पटोलिया तहसील भूपालसागर

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

: निर्णय :

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट बाबत पत्थरगढी की जाने हेतु इस न्यायालय में प्रस्तुत किया। अप्रार्थीगण बाद सूचना उपस्थित नही आने से इनके विरूद्ध कार्यवाही एकतरफा की जाती है। प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात अनुसार प्रार्थीगण रेकार्डेड खातेदार है। अतः प्रार्थना पत्र व रेकार्ड के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 128 **एल.आर.एक्ट बाबत पत्थरगढी** का स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार भूपालसागर को 500 रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि मौजा **ग्राम पटोलिया तहसील भूपालसागर की खाता सं. 268 में आ.सं. 2141 रकबा 0.23 है., आ.सं. 2143 रकबा 0.23 है., आ.सं. 2144 रकबा 0.51 है., आ.सं. 2145 रकबा 1.25 है., आ.सं. 2464 / 995 रकबा 0.03 है., आ.सं. 906 रकबा 0.34 है., आ.सं. 965 रकबा 0.07 है., आ.सं. 988 रकबा 0.46 है. आ.सं. 995 रकबा 0.06 है. किता 9 रकबा 3.18 है.** भूमि में उभयपक्षकारान को जरिये समन नोटिस तलब करवाकर अपने नेतृत्व में सीमांकन की टीम गठित कर चारों दिशाओं की पुख्ता पत्थरगढी की कार्यवाही करे। अगर मौके पर कोई विवाद न हो अथवा मौके पर फसल खडी न हो तो ही पत्थरगढी की जावे एवं कमिश्नरी शुल्क का रिकार्ड विधिवत साधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट पेश करे। कमिश्नर फीस प्रार्थी से मौके पर प्राप्त करे साथ ही यह भी सुनिश्चित करे कि किसी भी न्यायालय में कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं हो। इस आशय बाबत तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर [illegible]

निर्णय आज दिनांक 15.02.2024 को खुले [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Punit Kumar Gelra
Date: 2024.04.03 15:24:04 IST
Reason: SelfAttested

(पुनीत कुमार गेलडा)
सहायक कलक्टर
उपखण्ड अधिकारी,
भूपालसागर

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर